बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक–03 / नि॰ सा॰(प्रशि॰)–01 / 2010....................

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार(ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक..........................

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में सहकारी समितियों के अध्यक्ष / प्रबंधक के प्रशिक्षण–सह–अध्ययन भ्रमण / कार्यशाला के लिए रू० 1,13,70,000 / – (एक करोड़ तेरह लाख सत्तर हजार) रूपया मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेशः– स्वीकृत।

सहकारिता के क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा अपने दायित्व के प्रति समर्पण भाव पैदा करने हेतु सहकारी समितियों अध्यक्ष / प्रबंधक के प्रशिक्षण–सह–अध्ययन भ्रमण / कार्यशाला के लिए रू0 1,13,70,000 / – (एक करोड़ तेरह लाख सत्तर हजार रूपया) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजना के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

प्रशिक्षण–सह–अध्ययन भ्रमण का उद्देश्य सहकारी समितियों के अध्यक्ष / प्रबंधकों की कार्य क्षमता एवं दक्षता में वद्धि के साथ–साथ उनमें नेतृत्व शैली, संगठन एवं वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, संप्रेषण, समसामयिक विधि एवं अन्य विषय, परियोजना प्रबंधन आदि से संबंधित पेशेवर / वृत्तिक कौशल (Professional Skill) विकसित करना है। सहकारी समितियों के अध्यक्ष / प्रबंधक को महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (VAMNICOM), पुणे, में प्रशिक्षण–सह–अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा जाना है। प्रशिक्षण–सह–अध्ययन भ्रमण हेतु समितियों के चयन का प्रस्ताव सभी जिलों से प्राप्त कर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

प्रशिक्षण हेतु (यात्रा + मार्ग व्यय + अन्य व्यय सहित) आकलित व्ययः–

संस्थान का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	30 प्रतिभागी प्रति बैच की दर से बैच की संख्या	प्रति बैच प्रशिक्षण व्यय	कुल प्रशिक्षण व्यय	कुल यात्रा+मार्ग व्यय	सकल व्यय
VAMNICOM, पुणे	300 सहकारी समितियों अध्यक्ष / प्रबंधक	10	9,00,000	90,00,000 + 16,20,000 (18% GST)	प्रति व्यक्ति 2500 / –दर से 300 X 2500=7,50,000	1,13,70,000 (एक करोड़ तेरह लाख सत्तर हजार)
कुल	कुल प्रशिक्षण + अध्ययन भ्रमण व्यय = 1,13,70,000 / – (एक करोड़ तेरह लाख सत्तर हजार)					

3. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0104–सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण हेतु व्यय, विपत्र कोड–09–2425000030104, विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–03–प्रशिक्षण व्यय के अंतर्गत विकलनीय होगी।

4. उक्त स्वीकृत राशि का वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रशिक्षण–सह–अध्ययन भ्रमण के उपरांत संस्थान से प्राप्त विपत्र के आधार पर निकासी एवं भुगतान किया जायेगा।

5. कुल स्वीकृत राशि रू॰ **1,13,70,000 / – (एक करोड़ तेरह लाख सत्तर हजार)** रू॰ के लिए आवंटन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को दिया जायेगा, जिसमें से **प्रशिक्षण मद के लिए निर्धारित राशि रू॰** 1,06,20,000 / –**(एक करोड़ छह लाख बीस हजार) मात्र** का व्यय निकासी एवं

व्ययन पदाधिकारी कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा, और उनके द्वारा उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त विपत्र के विरूद्ध स्वीकृत राशि का विपत्र BTC FORM–25 में तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में प्रस्तुत किया जाएगा; तथा राशि की निकासी कर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

6. कुल स्वीकृत राशि रू० 1,13,70,000/– (एक करोड़ तेरह लाख सत्तर हजार) रू० में से **यात्रा+भोजन व्यय हेतु स्वीकृत राशि रू० 7,50,000/–(सात लाख पचास हजार) रू०** का उप आवंटन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा संबंधित जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया जाएगा, जो उप आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

8. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

9. स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

10. योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति संचिका संख्या–03/नि० सा०(प्रशि०)–01/2010 के पृ० सं०–330/प० दिनांक–30.06.2026 पर प्राप्त है।

11. योजना प्रस्ताव पर स्कीम स्क्रीनिंग समिति की स्वीकृति संचिका संख्या–03/नि० सा०(प्रशि०)–01/2010 के पृ० सं०–340/प० दिनांक–08.07.2026 पर प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–03/नि० सा०(प्रशि०)–01/2010 सं०–69/टि० दिनांक–10.07.2026 पर प्राप्त है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–03/नि० सा०(प्रशि०)–01/2010 के पृ० सं०–70/टि० दिनांक–13.07.2026 पर प्राप्त है।

ह०/–
(मो० अब्दुल रब खाँ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/नि० सा०(प्रशि०)–01/2010 226 /पटना, दिनांक 14/07/26

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबन्द लिफाफे के साथ।
2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार/उप सचिव, प्रशाखा–03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ह०/मेल